-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर 1.98 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17.04.2026 को थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर 1.98 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना तिंदवारी क्षेत्र के कस्बा तिंदवारी के रहने वाले राजू पुत्र रामखिलावन की कस्बा तिंदवारी में पशु आहार की दुकान है जिसके दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति अर्पित पुत्र अभराज द्वारा उसके चेक पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 01 लाख 98 हजार रुपए अपने साथी अरुण पुत्र बाल चन्द्र के माध्यम से निकलवा लिए गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना तिंदवारी में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहे थे जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 17.04.2026 को थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को तेरहीमाफी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अर्पित पुत्र अभयराज निवासी प्रेमनगर कस्बा व थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
2. अरुण कुमार पुत्र बालचन्द्र निवासी छिरौरा टोड़ी फतेहपुर जनपद झांसी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 70/24 धारा 420/467/468/471/504/506/120बी भादवि थाना तिंदवारी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार थानाध्यक्ष तिंदवारी
2. उ0नि0 श्री अंजनी कुमार पांडेय
3. उ0नि0 श्री शिवचन्द्र
4. कां0 सुमन्त सिंह